पंजीकृत डाक

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-2
संख्या- 12/1625/71-आयुष-2-2014-75/2012-टी0सी0
लखनऊ: दिनॉक: 11 नवम्बर, 2014

<u>विज्ञप्ति-नियुक्ति</u>

श्री राज्यपाल उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के परीक्षा परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रवक्ता (फोरेन्सिक मेडिसिन) के पद पर चयनित तथा नियुक्त हेतु संस्तुत डा0 पुनीत कुमार गौड़ को प्रवक्ता (फोरेन्सिक मेडिसिन) के पद पर वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड-पे रू0 5400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नवत तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/पता	पदनाम (जिस पर नियुक्ति की जा रही है।)	गृह जनपद	तैनाती जनपद
1	डा0 पुनीत कुमार गौड़ पुत्र श्री विश्वामित्र गौड़, स्थायी/पत्र व्यवहार का पता- ग्राम व पोस्ट-सुतहरपारा, जिला अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश	प्रवक्ता (फोरेन्सिक मेडिसिन)	अम्बेडकरनगर	श्री दुर्गा जी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़

2- डा0 पुनीत कुमार गौड़ की उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

1) यह नियुक्ति अस्थायी होगी और इनकी सेवायें उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 में लागू शर्तो एवं नियमों से आच्छादित होगी तथा ऐसी समस्त सेवा शर्ते भी इस पर लागू होंगी, जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी।
2) उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
3) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (जिसे नियमानुसार बढाया भी जा सकता है।)
4) आवश्यकतानुसार किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
5) उक्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि इस अवधि में श्री दुर्गाजी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्राचार्य के समक्ष अपने योगदान की सूचना नहीं देते है तो यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
7) पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेगीं।

http://shasnadesh.up.nic.in

8) उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सकिय सेवा में और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

3- उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्टे^{a}शन की 02 प्रतियाँ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की तिथि से उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी ज्येष्ठता वही बनी रहेगी जो लोक सेवा आयेगा द्वारा संस्तुत की गयी सूची में दर्शायी गयी है।

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव।

संख्या- 1625 (1)/71-आयुष-2-2014-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-46/07/ डीआर/ एस-11/2011-12, दिनॉक 27.08 2014 के सन्दर्भ में।

3- निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।

4- प्राचार्य, श्री दुर्गाजी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 पुनीत कुमार गौड़ को कार्यभार ग्रहण कराते हुए यह सुनिशिचत करेंगे कि उनके समस्त प्रमाण-पत्र यथा अनुभवादि प्रमाण-पत्र सही हैं। यदि भविष्य में कोई विरोधाभाषी-स्थिति होती है तो तत्काल शासन को अवगत कराया जाना सुनिशिचत करें।

5- कोषाधिकारी, आजमगढ़।

6- सम्बन्धित प्रवक्ता।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in